प्रेस नोट

दिनांक 22.09.2024, जनपद गोण्डा।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में एन0बी0डब्लू अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विशेष अभियान के तहत गोण्डा पुलिस की बडी कार्यवाही, 12 घण्टे में विभिन्न अपराधों में कुल 75 वारंटी गिरफ्तार:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को विशेष अभियान के तहत वारण्टी, गैगेस्टर, वांछित, जिला बदर अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। जिसके परिपेक्ष्य में जनपदीय पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट(एन0बी0डब्ल्यू) के विरूद्ध 12 घण्टे की कार्यवाही में कुल 75 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। जिसमें थाना को0 नगर पुलिस से 10, को0 देहात से 07, खरगूपुर से 14, इटियाथोक से 07, मोतीगंज से 02, छपिया से 06, खोड़ारे से 01, मनकापुर से 05, तरबगंज से 03, नवाबगंज से 05, वजीरगंज से 02, परसपुर से 01, उमरीबेगमगंज से 04, करनैलगंज से 05, कटराबाजार से 04, कौडिया से 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी इस कार्यवाही के अन्तर्गत पिछले 12 घण्टे में कुल-75 गैर जमानतीय वारण्ट(एन0बी0डब्ल्यू) अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.09.2024, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने व उसके साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 147/2024, धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रोहित कुमार उर्फ छोटू पुत्र मटरूलाल निवासी रूपन पुरवा मौजा बगिया खेड़ा थाना भीरा जनपद लखीमपुर को थाना परसपुर पुलिस के द्वारा उसके घर ग्राम रूपनपुरवा मौजा बगिया खेड़ा थाना भीरा जनपद लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.04.2024 को थाना परसपुर क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में मु0अ0सं0- 147/2024, धारा 363 भादवि बनाम रोहित कुमार उर्फ छोटू के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीडिता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 22.09.2024 को वांछित अभियुक्त रोहित कुमार उर्फ छोटू पुत्र मटरूलाल निवासी रूपन पुरवा मौजा बगिया खेड़ा थाना भीरा जनपद लखीमपुर को थाना परसपुर पुलिस के द्वारा उसके घर ग्राम रूपनपुरवा मौजा बगिया खेड़ा थाना भीरा, जनपद लखीमपुर खीरी से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. रोहित कुमार उर्फ छोटू पुत्र मटरूलाल निवासी रूपन पुरवा मौजा बगिया खेड़ा थाना भीरा जनपद लखीमपुर,

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 147/2024, धारा 363, 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पवन कुमार सिंह
02. हे0का0 मुन्नीलाल चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।